न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 55/2019

मनोज कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी 36एच नग्गी तहसील श्री करणपुर।

--वादी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी --

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए,136 एलआरएक्ट

दिनांक : 19/8/2019

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 36एच नग्गी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता स. 64/69 के मु.न. 59 में कुल3.036 हैक्टर नहरी बारानी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में वादी के नाम उक्त रकबा जरिए बंटवारानामा इन्तकाल संख्या 217 मनोज कुमार पुत्र कन्हैया लाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वादी का वास्तविक नाम मनोज कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर है। वादी के राशन कार्ड संख्या 1025, आधार कार्ड नम्बर 321431263312, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र संख्या यूएसएफ/0793075, कक्षा 10 वीं की अंकतालिका 2008 की अंकतालिका व विधान सभा क्षेत्र की नामावली में नाम विनोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल अंकित है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम मनोज कुमार पुत्र कन्हैया लाल दर्ज है। अन्य तमाम दस्तावेज में विनोद कुमार पुत्र कन्हैयालाल होने के कारण वादी को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पडता है। संबधित विभाग में अपने दो नाम होने के सम्बन्ध में एवं अपनी पहचान बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादी का उक्त जमाबन्दी में अपना नाम मनोज कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल घोषित करवाना चाहता है। वादी ने इस सम्बन्ध में राजस्व कैम्प 36 एच नग्गी में लिखित वाद पत्र प्रस्तुत कर संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। जिस पर उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वाद पत्र में राज्य सरकार से अनुतोष चाहा गया है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 36 एच नग्गी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता स. 64/69 के मु.न. 59 में कुल 3.036 हैक्टर नहरी बारानी भूमि रकबा के सम्बन्ध में जमाबन्दी में वादी का नाम मनोज कुमार पुत्र कन्हैया लाल के स्थान पर मनोज कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर घोषित किये जाने के आदेश दिये जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा चक 36एच नग्गी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता स. 64/69 के मु.न. 59 में कुल 3.036 हैक्टर वारानी भूमि रकबा के सम्बन्ध में जमाबन्दी में वादी का नाम सनोज कुमार पुत्र कन्हैया लाल के स्थान पर मनोज कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, 10वी कक्षा की अंकतालिका, विधानसभा क्षेत्र श्री करणपुर की नामावली में नाम विनोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल अंकित है। जमाबन्दी में नाम मनोज कुमार पुत्र कन्हैया लाल अंकित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 36एच नग्गी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता स. 64/69 के मु.न. 59 में कुल 3.036 हैक्टर नहरी बारानी भूमि रकबा के सम्बन्ध में जमाबन्दी में वादी का नाम मनोज कुमार पुत्र कन्हैया लाल के स्थान पर मनोज कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीं करणपुर अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.8.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Reeni

{श्री मती रीना छिम्पा आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)